# दस रुपए के लिए शराब ठेके पर विवाद, पति-पत्नी को घर जाकर गोली मारी

## ठेकाकर्मियों के साथ 8-10 बदमाश ग्राहक के घर जा पहुंचे और फायरिंग कर दी, दम्पती घायल

**नदबई/भरतपुर, (निस)।** नदबई के नजदीकी गांव बैलारा में बुधवार को शराब के ठेके पर शुरू हुआ मामूली विवाद खून-खराबे में बदल गया। दस रुपए के लिए ठेके के कर्मचारियों और एक ग्राहक के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि कर्मचारियों ने ग्राहक से मारपीट कर दी।

मारपीट की घटना के कुछ देर बाद ही ठेकाकर्मियों के साथ 8-10 बदमाश ग्राहक के घर जा पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में गांव बैलारा निवासी सरमन सिंह (50) और उनकी पत्नी पिस्ता देवी (45) गंभीर रूप से घायल हो गए। अचानक हुई वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

घायल दम्पती को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया।

- **दोनों घायलों को नदबई राजकीय जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर जिला आरबीएम अस्पताल रेफर किया**
- **कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज किये**

सूचना मिलते ही सीओ नदबई अमर सिंह राठौड़ पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। दोनों घायलों को नदबई राजकीय जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें भरतपुर जिला आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। पति-पत्नी के पैर में एक-एक गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

# जाति बदलकर फर्जीवाड़ा कर रिटायर पुलिसकर्मी ने जमीन खरीदी

**अलवर, (निसं)।** अलवर के तूलेड़ा में 40 साल पहले एस.सी. की जमीन को सामान्य वर्ग के पुलिसकर्मी (अब रिटायर) और वैश्य महिला ने फर्जीवाड़े से खरीदा था। जमीन का अलवर यूआईटी से भू रूपांतरण कराया था। मामला अब कई साल बीतने के बाद सामने आया है। आसपास के लोगों ने मंदिर निर्माण करना चाहा, तब मामला पकड़ में आया।

जमीन को रिटायर पुलिसकर्मी अमर सिंह यादव और एक वैश्य महिला ने खरीदा था। तूलेड़ा के कुछ लोगों ने अलवर कलेक्टर, यूआईटी सचिव व सरकार के नुमाइंदों को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि आरोपी पक्ष के लोगों का कहना है कि ये गलत आरोप है। अमर सिंह नाम का व्यक्ति दूसरा है, जिसके पिता का नाम भी अलग है। जमीन का हक किसी अन्य व्यक्ति का है। उसके जरिए जमीन पर काबिज हैं। ये जमीन खरीद के दस्तावेज हैं। जिसमें अमर सिंह ने खुद की जाति चमार बता रखी है, लेकिन असलियत में यादव हैं। वहीं दूसरी खरीददार जावत्री देवी है,। वो भी जाति एससी दिखा रखी हैं, लेकिन असलियत में वैश्य है।

- **कागजों में खुद को एस.सी. वर्ग का बताया, 40 साल बाद मामला सामने आया**
- **तूलेड़ा में 40 साल पहले एस.सी. की जमीन को सामान्य वर्ग के पुलिसकर्मी (अब रिटायर) और वैश्य महिला ने फर्जीवाड़े से खरीदा था**

जीवनराम जाटव व पूर्व पार्षद राजेंद्र प्रसाद ने मामला उठाते हुए कहा कि रजिस्ट्री करने वाले अधिकारियों ने कैसे एससी की जमीन की रजिस्ट्री सामान्य वर्ग के लोगों को कर दी। फर्जी कागजात तैयार करा लिए। तूलेड़ा में खसरा 176 रकबा 22 बारानी प्रथम किटोड़ा में लगती है।

पार्षद ने बताया कि तूलेड़ा में रामसहाय जाटव की 2500 वर्ग गज जमीन को 1984 में पुलिसकर्मी अमर सिंह यादव निवासी लाडपुर बानसूर और जावित्री देवी ने खरीदी थी। अमर सिंह ने खुद की जाति एससी बताकर रजिस्ट्री करा ली। अब हाल में तूलेड़ा में एक मंदिर में निर्माण होने लगा तो रिटायर पुलिसकर्मी अमर सिंह अड़ंगा करने लगा। इसके बाद आमजन को पता चला कि वह जाति से यादव है, लेकिन उसने खुद की जाति एससी बताकर 2500 वर्गगज जमीन खरीद ली, जो नियमानुसार गलत है।

पार्षद राजेंद्र व जीवनराम का कहना है कि एससी की जमीन को सस्ते दामों में खरीदकर हड़पा गया है। हमारा मुद्दा यही है कि खुद की जाति बदलकर जमीन खरीद ली। यह कानून हाथ में लेने जैसा है। मामले में की जांच होनी चाहिए। जमीन से व्यक्ति का कब्जा हटाना चाहिए। चाहे जमीन सरकार अपने हाथ में ले या इसका सार्वजनिक उपयोग ले, लेकिन खरीददारों ने पूरी तरह गैर कानूनी काम किया है। उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

# जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, सात हिरासत में

**भरतपुर, (निसं)।** जनाना अस्पताल में बच्ची को जन्म देने के बाद प्रसूता की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। मृतका के पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी की मौत गलत इंजेक्शन लगाने से हुई है। सूचना पर पहुंची मथुरा गेट पुलिस ने सात लोगों को हिरासत में लिया है।

- **मृतका के पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी की मौत गलत इंजेक्शन लगाने से हुई है**
- **पुलिस ने हंगामा कर रहे सात लोगों को हिरासत में लेकर मथुरा गेट थाना पर लाकर छोड़ दिया**

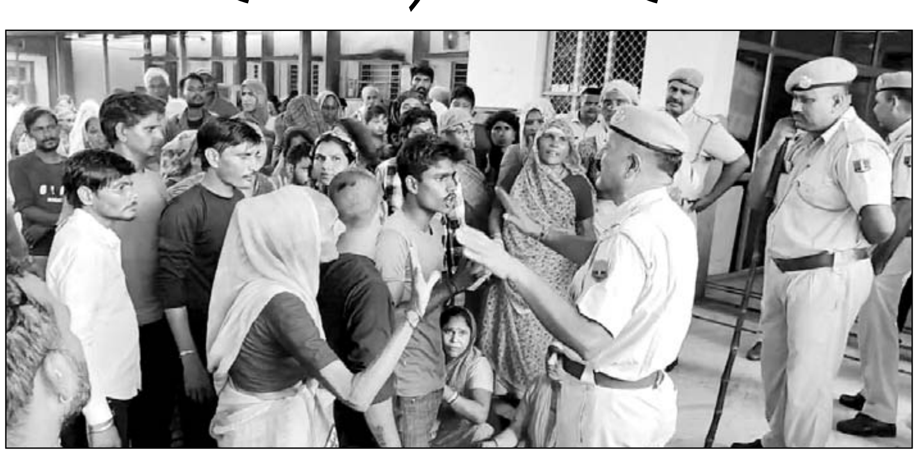

भरतपुर में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा कर रहे लोगों से पुलिस ने समझाइश की।

जानकारी के अनुसार नमक कटरा निवासी आकाश (26) ने मंगलवार शाम अपनी पत्नी पिंकी (26) को जनाना अस्पताल में भर्ती करवाया था। शाम करीब सात बजे पिंकी ने बच्ची को जन्म दिया। देर रात 12 बजे उसकी तबीयत बिगड़ने पर नर्सिंगकर्मियों ने इंजेक्शन लगाया। आरोप है कि इंजेक्शन लगने के डेढ़ घंटे बाद पिंकी की मौत हो गई। इसके बाद परिजन अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और धरना दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंची मथुरा गेट पुलिस ने हंगामा कर रहे सात लोगों को हिरासत में लेकर मथुरा गेट थाना पर लाकर बाद छोड़ दिया।

अस्पताल प्रभारी शेर सिंह ने बताया कि महिला का ऑपरेशन सामान्य था। रात को तबीयत बिगड़ने पर उसे आरबीएम अस्पताल के आईसीयू में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि यदि परिजन लिखित शिकायत देंगे तो जांच कराई जाएगी।

## चोरी करने वाले दो शातिर गिरफ्तार

**भीलवाड़ा, (निसं)।** गंगापुर थाना क्षेत्र में रात्रि के समय में माईन्स से मोटरें व इलैक्ट्रॉनिक सामान चोरी करने वाले दो शातिर आरोपी पिन्टु खान तथा परमेश्वर कटवाल उर्फ राहुल उर्फ गना उर्फ फोरिया को गिरफ्तार किया। 18 जुलाई को प्रार्थी संजय माली हाल मुनीम यस माईन्स नाथजी का खेड़ा ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि 15 जुलाई को माईन्स के ऑफिस का ताला टूटा हुआ है, जिस पर मैं माईन्स पर आया तो देखा तो आफिस का ताला तोड़कर उसमें रखा सामान ल्युमिनश का दो किलो वाट का एक ईंवेटर, ल्युमिनश कम्पनी को दो बड़ी बैट्रीयां, दो मोटर तथा करीब 60 मीटर केबल अज्ञात चोर चुराकर ले गये।

# जोधपुर की बदहाल सफाई व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने निगम को फटकार लगाई

**जोधपुर, (कासं)।** राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर नगर निगम की लापरवाही और शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस विनित कुमार माथुर और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने महेश गहलोत की याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सीधे तंज कसते हुए कहा कि जोधपुर शहर की स्वच्छता की स्थिति अत्यंत दयनीय है।

- **कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि नगर निगम की लापरवाही भयावह है और अब कोई बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी**

महेश गहलोत ने अधिवक्ता भीमकांत व्यास के माध्यम से लालसागर वन में आनासागर बांध से मलबा, कचरा हटाने को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह केवल अनासागर बांध का मामला नहीं है, बल्कि पूरे जोधपुर शहर की स्वच्छता से जुड़ी है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि नगर निगम की लापरवाही भयावह है और अब कोई बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम की ओर से अधिवक्ता ने निर्देशों को पूरा करने और संबंधित सरकारी भूमि से मलबा/कचरा हटाने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय मांगा। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को की जाएगी।

हाईकोर्ट ने नगर निगम के अधिवक्ता को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए कहा कि सफाई और मलबा, कचरा हटाने के कार्य के लिए नगर निगम के पास कितने अधिकृत कर्मचारी हैं और उनमें से कितने वास्तव में कार्यरत हैं। नगर निगम जोधपुर शहर में सड़कों, पार्कों से सफाई और मलबा, कचरा हटाने की कार्ययोजना भी प्रस्तुत करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि नगर निगम आयुक्त उत्तर और नगर निगम आयुक्त दक्षिण जोधपुर द्वारा हलफनामा अगली सुनवाई पर 16 सितम्बर को पेश नहीं किया तो कोर्ट दोनों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश देगा।

# फर्जी दस्तावेज से जमीन बेच करोड़ों की ठगी, हिस्ट्रीशीटर सहित दो गिरफ्तार

**उदयपुर, (निसं)।** फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचकर करोड़ों रूपयों की ठगी करने के मामले में हिस्ट्रीशीटर सहित दो जनों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पूर्व में 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है।

- **इस मामले में पूर्व में छह जनों को गिरफ्तार किया जा चुका है**

डिप्टी छगन पुरोहित ने बताया कि दलीचंद पुत्र चुना गमेती, निवासी वार्ड 1 नीमचखेड़ा ने 28 मार्च को मामला दर्ज करवाया था कि उसको अपने खेती के लिए जमीन की आवश्यकता होने उसने भू-दलाल चेतन शर्मा पुत्र रामलाल शर्मा निवासी लक्ष्मीमार्ग अमल का कांटा, राजेन्द्र सिंह पुत्र मोती सिंह देवडा निवासी लियों का गुढ़ा, आयुष लोढा पुत्र स्वरु नीलम लोढा निवासी भुपालपुरा, विरेन्द्र पुत्र स्व. नरेन्द्र चौहन निवासी नाडाखाड़ा से सम्पर्क किया, जिन्होंने उसे अपने मूल खातेदार वरदा पुत्र देवा भील एवं सवलिया पुत्र देवा भील निवासी बोरा मंगरा ढीकली ने अपने खातेदार रोशनलाल पुत्र माना भील निवासी सालेरा कला के नाम खरीदी वाडा ढीकली मे जमीन बताई। इस जमीन का सौदा 3 करोड़ 11 लाख रूपए में किया, जिसका एग्रीमेंट 6 अगस्त 2024 को चेतन शर्मा ने किया।

एग्रीमेंट के साथ ही 21 लाख रूपए प्राप्त किए तथा शेष रकम लेकर 21 सितम्बर 2024 को रजिस्ट्री करवाना तय किया। 24 अक्टूबर 2024 को आरोपियों ने 84 लाख 51 हजार रूपये प्राप्त कर लिए। 25 अक्टूबर 2024 को 35 लाख रुपये नकद और प्राप्त किए। 14 नवम्बर 2024 को इस जमीन की रजिस्ट्री वरदा पुत्र देवा भील निवासी बोरा मंगरा ढीकली की पॉवर ऑफ अटार्नी के जरिए राजू पुत्र लक्ष्मण ननोमा निवासी सुलाई डूंगरपुर के माध्यम से करवाई तथा एग्रीमेंट के अनुसार शेष रकम में से 27 लाख रूपये रजिस्ट्री के समय प्राप्त कर लिए।

आरोपियों ने 1 करोड़ 19 लाख 51 हजार रूपये प्राप्त कर लिए। उसने इनसे शेष जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए कहा तो इन्होंने पहले तो टालमटोल किया। शंका होने पर वह खरीदी गई जमीन पर गया तो वहां पर वरदा भील व उनके परिजनों ने बताया कि उन्होंने किसी को पॉवर ऑफ अटार्नी नहीं दिया। इस तरह से आरोपियों ने धोखाधड़ी कर करोड़ों रूपए ऐंठ लिए। इस पर पुलिस द्वारा पूर्व में रोशनलाल भील, कल्याण सिंह, राजेन्द्र सिंह देवडा, राजू ननोमा, नारायण लाल, हर्ष आर्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में कांस्टेबल विष्णु शर्मा, ऋतुराज सिंह की टीम ने जांच करते हुए फरार चल रहे आयुष पुत्र स्व. नीलम लोढा निवासी मठपार्क के सामने भुपालपुरा, चेतन शर्मा पुत्र रामलाल शर्मा निवासी अमल का कांटा सूरजपोल को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी आयुष लोढा व चेतन शर्मा गिरफ्तारी से बचने के लिए गत 4 माह से फरार चल रहे थे। आयुष लोढा पैसा आने के बाद मौज मस्ती करने गोवा चला गया था, जो 16 अगस्त को कार में बैठकर अहमदाबाद से उदयपुर आने की सूचना पर पुलिस टीम ने कार पीछा किया। आरोपी ने अपने आपको बचाने के लिए फिल्मी स्टाईल में कार भगाई, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। दूसरे आरोपी चेतन शर्मा को उदियापोल से गिरफ्तार किया है।

# बाइक सवार तीन युवक ओवरब्रिज की दीवार से टकराए, दो की मौत व एक घायल

**डीडवाना, (निसं)।** डीडवाना से गुजर रहे मेगा हाइवे पर स्थित ओवरब्रिज पर बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक पर सवार होकर जा रहे तीन युवक ओवरब्रिज की दीवार से टकरा गए, जिससे दो युवक ओवरब्रिज से नीचे जा गिरे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

- **दीवार से टकराने के बाद लाडनूं फाटक ओवरब्रिज से नीचे गिर गये थे, एक युवक घायल**
- **बाइक सवार तीनों युवक खुनखुना की ओर जा रहे थे, डीडवाना से गुजर रहे मेगा हाइवे पर हादसा हुआ**

जानकारी के अनुसार मृतक और घायल लाडनूं तहसील के समना गांव से तीन युवक बाइक पर सवार होकर खुनखुना गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान डीडवाना में लाडनूं फाटक के ओवरब्रिज के मोड़ पर उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और और ओवरब्रिज की दीवार से जा टकराई। इस टक्कर से ओवरब्रिज पर लगा एक बोर्ड भी टूट गया और बाइक पर सवार दो युवक उछलकर कई फीट नीचे जा गिरे, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद डीडवाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव के साथ ही घायल को बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया। मृतकों की पहचान राकेश व देवाराम के रूप में हुई है, जबकि घायल रामकिशन का अस्पताल में उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा रही है, वहीं मृतकों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है।

## अजमेर निगम ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की

**अजमेर, (कासं)।** अजमेर में बुधवार सुबह शहर में उस समय हड़कंप मच गया, जब नगर निगम के अवैध निर्माण शाखा की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए दो गेस्ट हाउस, एक शराब ठेका व एक घर के तीसरे फ्लोर को सीज किया गया। सीज की कार्रवाई को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। निगम की इस कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कई जगह पर निगम अधिकारियों को विरोध का भी सामना करना पड़ा। कार्रवाई की दौरान पुलिस बल तैनात रहा। नगर निगम के एक्सईएन रमेश चौधरी ने बताया कि निगम आयुक्त देशलदान के दिशा निर्देश पर अवैध निर्माणों की मिल रही शिकायत पर शहर के चार स्थानों पर सीज की कार्रवाई अंजाम दी गई है। अवैध निर्माण शाखा टीम द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चौधर मोहल्ला, कड़क्का चौक, कालाबाग और सिविल लाइंस क्षेत्र में स्वीकृत नक्शों के विपरित बन रहे अवैध निर्माण पर सीजिंग की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान एक बाड़े को सीज करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, मौके पर मौजूद अधिकारियों ने वार्ता के बाद शांत कराया।

- **कई जगह पर निगम अधिकारियों को विरोध का भी सामना करना पड़ा**

# पीपलवास गांव का संस्कृत विद्यालय चार साल से एक अध्यापिका के भरोसे

## बुधवार को अध्यापिका के अवकाश पर जाने से स्कूल के ताला लगा मिला, बच्चों को स्कूल की फाटक से बिना पढ़े ही घर लौटना पड़ा

**भीण्डर, (निसं)।** भीण्डर क्षेत्र की आकोला ग्राम पंचायत के पीपलवास गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में बुधवार को एकमात्र कार्यरत अध्यापिका अवकाश पर जाने से ताला लग गया। बच्चों को स्कूल की फाटक से बिना पढ़े ही घर लौटना पड़ा। इसको लेकर अध्यापिका ने बताया कि वे अपने घर पर मेडिकल इमरजेंसी आने की वजह से एक दिन के अवकाश पर गई थी, गुरूवार सुबह स्कूल लौट जायेगी।

जानकारी के अनुसार 6 पद स्वीकृत वाले स्कूल को पिछले 4 वर्ष से केवल एक अध्यापिका के भरोसे छोड़ रखा है। इसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो वहीं भविष्य भी खतरे में है। राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय पीपलवास में वर्तमान में एक अध्यापिका मनीषा कार्यरत है। ये वर्ष 2010 से लगातार इसी स्कूल में सेवाएं दे रही है। 2021-22 सत्र से यहां से अन्य स्टॉफ का स्थानांतरण होने के बाद से अध्यापिका मनीषा ही पिछले 4 वर्षों से स्कूल संभाल रही है, जबकि एक हेडमास्टर, लेवल द्वितीय के दो व लेवल प्रथम के तीन अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं।

भीण्डर क्षेत्र के पीपलवास स्कूल के बाहर खड़े ग्रामीण व स्कूल के बच्चे।

- **अध्यापिका ने बताया कि वे अपने घर पर मेडिकल इमरजेंसी आने की वजह से एक दिन के अवकाश पर गई थी, गुरूवार सुबह स्कूल लौट जायेगी**
- **राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में कक्षा एक से 8 तक कुल 65 बच्चे अध्ययनरत हैं**

विद्यालय में कक्षा एक से 8 तक कुल 65 बच्चे अध्ययनरत है। पिछले 4 वर्षों से केवल एक अध्यापिका के भरोस स्कूल चलाने को लेकर शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही उजागर होती है। जहां संस्कृत शिक्षा के नाम से वैसे भी नाम मात्र के विद्यालय संचालित हो रहे हैं और उनमें भी शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो सकती तो कैसे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। पीपलवास गांव के बच्चों का भविष्य तो शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से खतरे में डाला जा रहा है।

मनीषा, अध्यापिका पीपलवास स्कूल ने बताया कि मेरे सास बीमार होने की वजह से एक दिन का अवकाश लेकर घर गई थी, इसको लेकर वल्लभनगर संकूल की प्रधानाध्यापिका को प्रार्थना पत्र भी भेज रखा है। अवकाश के दिन व्यवस्था करने की जिम्मेदारी विभाग की है। स्कूल में एकमात्र स्टॉफ होने की वजह से मैं कई दफा जरूरी काम होने के बावजूद भी अवकाश नहीं ले पाती हूं।

लालूराम रावत, अध्यक्ष विद्यालय विकास समिति पीपलवास ने बताया कि मांग करने के बाद भी नहीं अधिकारी सुनते। एसएमसी अध्यक्ष हमारे स्कूल में स्टॉफ नहीं होने की शिकायत पिछले काफी समय से करते आ रहे हैं और गत 4 अगस्त को विधायक की जनसुनवाई में भी इस समस्या से अवगत करवाया था, लेकिन विभाग के अधिकारी हमारे स्कूल पर ध्यान नहीं देते है। इस वजह से हमारे बच्चों को बिना पढ़े घर लौटना पड़ रहा है और भविष्य खराब किया जा रहा है।

# रेल दोहरीकरण व नई ब्रॉडगेज लाइन की डेडलाइन तय

## कलेक्टर ने अधिकारियों को स्वीकृतियां पूरी करने के निर्देश दिए

**अजमेर, (कासं)।** उत्तर-पश्चिम रेलवे की दो बहुप्रतीक्षित परियोजना अजमेर-चंदेरिया (178.28 किमी) रेल दोहरीकरण और पुष्कर-कात्यासनी (मेड़ता) 51.34 किमी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन कार्य की अब डेडलाइन तय कर दी गई है। जिला कलेक्टर लोक बन्धु अधिकारियों को भूमि अवाप्ति अवार्ड, नामांतरण व समस्त एनओसी 15 दिन में जारी करने के दिशा निर्देश दिए जारी किए हैं। अजमेर,नसीराबाद और पुष्कर तहसीलों में लगभग संयुक्त नाप-जोख पूरा कर लिया गया है।

- **'अजमेर-चंदेरिया और पुष्कर-कात्यासनी सेक्शनों में लंबित मुआवजा विवादों पर त्वरित निस्तारण के लिए अरबिट्रेटर की नियुक्ति की जाए'**

कलेक्टर लोक बंधु ने अजमेर, नसीराबाद और पुष्कर तहसीलों के उपखंड अधिकारियों व राजस्व विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी तहसीलों का भूमि अवार्ड एक सप्ताह में जारी कर रेलवे को सौंपा जाए ताकि कॉन्ट्रैक्ट पैकेज समय पर खुल सके। कलेक्टर ने पुष्कर-कात्यासनी रूट में आने वाली सरकारी भूमि पर कार्य की मंजूरी सार्वजनिक निर्माण व उद्यान विभाग के पास लंबित होने पर दोनों विभागों को 15 दिन के अंदर संशोधित एनओसी भेजने के दिशा निर्देश दिए। लेवल क्रॉसिंग-8 और 9 हटूंडी-राजोसी को बंद करने तथा फाटक संख्या 44 की रियलाइन्मेंट के लिए संयुक्त सर्वे की रिपोर्ट भी इसी अवधि में मांगी गई है। कलेक्टर ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अजमेर-चंदेरिया और पुष्कर-कात्यासनी सेक्शनों में लंबित मुआवजा विवादों पर त्वरित निस्तारण के लिए अरबिट्रेटर की नियुक्ति की जाए, साथ ही पूर्व में अधिग्रहित जमीन का नामांतरण रेलवे के नाम कराने की जिम्मेदारी संबंधित उपखंड अधिकारियों को सौंपी गई। लोक बंधु ने कहा कि रेल प्रोजेक्ट्स जिले की आर्थिक जीवन रेखा हैं। प्रशासनिक फाइलों का समय पर निस्तारण नहीं किया गया तो जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय होगी।